

एक बीघा जमीन पर बोये हुए 1.5 लाख अफीम के पौधे जब्त, दो गिरफ्तार

इन पौधों से 29 किलो अफीम का दूध एवं 212 किलो डोडा-पोस्त तैयार होना था

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के बिशनगढ़ पुलिस ने शनिवार को अवैध अफीम की खेती के करीब एक बीघा जमीन पर बोये हुए एक लाख पांच हजार अफीम के पौधे जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स एवं नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो ने बताया कि इन पौधों से 29 किलो अफीम का दूध एवं 212 किलो डोडा-पोस्त तैयार होना था। अफीम के पौधों से प्राप्त होने वाले अफीम के दूध एवं डोडा-पोस्त की अनुमानित कीमत एक करोड़ सत्ततर लाख सत्तर हजार रुपये आंकी गई है।

महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार जोधपुर, रंज जोधपुर के निर्देशानुसार रंज में अवैध गतिविधियों मादक पदार्थ शराब तस्करी अवैध बजरी खनन माफियाओं वांछित अपराधियों के विरूद्ध भीकाल अभियान के तहत जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में बिशनगढ़ थानाधिकारी निम्बसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की ईतला पर कार्रवाई करते हुए सरहद ऐलाना (गोगामाड) में जगदीश उर्फ जगताराम व सकाराम द्वारा काशतसुदा



बिशनगढ़ पुलिस ने अफीम के पौधे जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

खेत में करीब 1 बीघा जमीन पर अवैध अफीम की खेती करते हुए पाये जाने पर अवैध अफीम के एक लाख पांच हजार हरे पौधे बरामद किये। जिनको 150 जूट की बोरियों में भरा जाकर वजन किया गया तो कुल वजन 3153 किलोग्राम जूट की बोरी सहित होना पाया गया। वहीं एनडीपीएस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान जारी है। पुलिस ने जगदीश उर्फ जगताराम

पुत्र छगनाराम लौहरा निवासी काठाडी पीएस सिवाना जिला बालोतरा व सकाराम पुत्र रूपाराम भील निवासी भागवा पीएस सिवाना जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ये अफीम की खेती जिला चित्तौड़गढ़ के पास मंगलवाड गांव जाकर सिखना बताया तथा वहां जाकर किस तरह से खेती की देखभाल करते हैं उसकी पूरी

जानकारी हासिल की गई। अभियुक्त उक्त अफीम के बीज गांव मंगलवाड़ा से करीब 3 माह पूर्व लेकर आया तथा उसके पश्चात यू-ट्यूब सोशल मीडिया पर खेती कैसे करते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाकर अपने खेत में अण्डड़ी की फसल के बीच में अफीम की खेती की गई। ताकि किसी व्यक्ति को इस फसल की भनक नहीं लगे। अभियुक्त द्वारा सरहद ऐलाना

■ **अफीम के पौधों से प्राप्त होने वाले अफीम के दूध एवं डोडा-पोस्त की अनुमानित कीमत एक करोड़ सत्ततर लाख सत्तर हजार रुपये आंकी गई**

क्षेत्र में अफीम की खेती कर खेती से प्राप्त होने वाले अफीम का दूध एवं डोडा-पोस्त को आस पास के क्षेत्र में शार्दियों, समारोह, इत्यादि सभाओं में बेचना तथा उससे प्राप्त होने वाली आय से अन्य जगह पर जमीन खरीद कर अपने अफीम के व्यवसाय को मजबूत बनाना था।

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स एवं नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो के श्रेत्रीय डायरेक्ट से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एक एकड़ जमीन में 90 हजार अफीम के पौधे बोने का प्रावधान है जिसमें से 25 किलोग्राम अफीम का दूध निकलता है तथा 182 किलोग्राम डोडा पोस्त निकलता है।

देवर ने भाली सहित युवक को गोली मारी

जुरहरा/डींग, (निर्सं)। जुरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बमनवाडी में देवर के द्वारा अपनी ही भाभी व एक अन्य युवक को गोली मार देने का मामला सामने आया है। गोली लगने से जहां युवक की मौत हो गई है। वहीं महिला की हालत गम्भीर होने के कारण जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वर्णकार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रफ्त किया गया है। मृतक युवक के शव को शनिवार की सुबह जुरहरा थाना पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है।

मृतक युवक के भाई गुलाबसिंह पुत्र मुख्तार सिंह रायसिख निवासी ग्राम बमनवाडी थाना जुरहरा ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कराया है। थाने में बरें कराए गए मामले में गुलाबसिंह ने बताया है कि उसका भाई मंजीत सिंह गांव के ही सतपाल सिंह, गुरविंदर सिंह व गुरजीत

अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की

निवाई, (निर्सं)। उप वन संरक्षक मारिया साईनए के निर्देशन में वन विभाग के गश्ती दल ने गैर वानिकी कार्यों की रोकथाम के चलते एक अवैध चेजा पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी धारीलाल बैक्वा के नेतृत्व में गश्ती दल प्रभारी मोहनलाल मीणा, वन रक्षक कमलेश मीणा, रिंकू चौधरी, धोली मीणा, बट्रीलाल मीणा, गोरीशंकर यादव व राजीवकुमार नायक ने वन क्षेत्र बस्सी नाका के अधीन से अवैध चेजा पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर संजय वन में खड़ा करवा दिया।

सिंह के साथ शुक्रवार की रात्रि समय करीब सात बजे जंगल में शौच करने के लिए गया था जहां अचानक पीछे से आए पूरन सिंह पुत्र दलीपसिंह रायसिख निवासी ग्राम बमनवाडी थाना जुरहरा ने मंजीत सिंह को गोली मार दी और इसके बाद पूरन सिंह ने अपने घर जाकर अपनी भाभी परमजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह को भी गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जुरहरा थाना पुलिस ने दोनों घायलों को जुरहरा के राजकीय किरोड़ीलाल स्वर्णकार अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मंजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया वहीं परमजीत कौर की हालत गंभीर होने कारण उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। शनिवार की सुबह जुरहरा पुलिस की मौजूदगी में मृतक मंजीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम करारक उसे परिजनों को सौंप दिया है।

मंदिर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निर्सं)। खेतड़ी पुलिस ने रोजड़ा गांव के मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नशा करने के लिए रूपए नहीं होने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

थानाधिकारी गोपाललाल जांगिड़ ने बताया कि 13 फरवरी को रोजड़ा निवासी मोतीलाल ने रिपोर्ट दी कि वह गांव के ठाकुर जी मंदिर में पुजारी है। जब वह मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है। इस दौरान जब उन्होंने अंदर जाकर

कैंपर से टकराई कार, चार घायल, हालत गंभीर

गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बीकानेर रेफर किया, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे थे

बीकानेर, (निर्सं)। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य स्नान कर लौट रहे मंडी 465 आरडी के श्रद्धालु सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए रतनगढ़ के संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास कार और कैंपर की आमने-सामने की टक्कर में नौ लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को रतनगढ़ और चूखू के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बीकानेर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, छत्तरगढ़ तहसील के मंडी 465 आरडी का एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर अपने घर लौट रहा था। रतनगढ़ से पन्नु

होते हुए छत्तरगढ़ जाते समय संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास उनकी कार सामने से आ रही कैंपर गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी नौ लोग घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही रतनगढ़ थाने के एएसआई रामनिवास मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल रतनगढ़ ले जाया गया। घायलों में छत्तरगढ़ निवासी शेराराम (27) गंभीर घायल है। वहीं सोन्ू देवी (22), हनुमान (27), अखिलेश (4) की स्थिति भी नाजुक बनी हुई

है। केशर देवी (65), लक्ष्मा (40), सोनी देवी (25) गाजसर, चूखू निवासी, मुकेश (35), राणाराम (49) को भी भर्ती करवाया गया है। घायलों में शेराराम, अखिलेश, केशर देवी और लक्ष्मा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज रतनगढ़ के जालान अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद कैंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने केस को खत्म किया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने करीब 23 साल से पेंडिंग अपराधिक केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोर्ट आने वालों को ही नहीं, इससे सभी को राहत मिलेगी। जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रतीक बन जाए तो अदालत केवल उन अभियुक्तों को ही नहीं, बल्कि उन सभी को राहत देने के लिए सक्षम है, जिन पर मामला पेंडिंग है, भले ही उन्होंने अदालत का रुख न किया हो।

जानकारी के अनुसार साल 2001 में हनुमानगढ़ के भादरा संरक्षित वन क्षेत्र से बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटकर रोड बनाने का मामला दर्ज हुआ था। पेड़ों को काट सड़क बनाने पर ठेकेदार सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जज ने आदेश में लिखा कि इस मामले में मुकदमे की शुरुआत की बात तो दूर, अब तक बिना किसी प्रगति के अपराधिक शिकायत लंबे समय तक पेंडिंग रहना निश्चित रूप से अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने अपने अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय का ध्यान क्यों नहीं रखा। अगर वन विभाग या राज्य के किसी भी अंग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को न काटने की सूचना दी गई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। इस मामले में दोनों कोन है, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया

■ **हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की लंबी अवधि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है**

है, जबकि इस बात को 23 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। तीस अगस्त 2002 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ने भादरा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 17 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि अमर सिंह कैनाल से निकलने वाली और महाराणा गांव तक फैली महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी, संरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। जून 2001 में पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को सूचित किए बिना गांव जनाना से महाराणा तक सड़क बनाना तय किया। जुलाई-अगस्त 2001 के दौरान बिना वन विभाग से अनुमति लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों ने महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी के तटबंधों के किनारे पेड़ों को मजदूर लगाकर काट दिया, जो कि कानूनी रूप से संरक्षित थे। चूंकि पेड़ों को काटने का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और न ही काटने या हटाने वालों की पहचान ही हो सकी, इसलिए वन विभाग ने मजदूरों, ठेकेदारों, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आरोपी मान कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी थी। 17

व्यक्तियों पर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस संवंध में कुल 17 व्यक्तियों में से सात की मौत हो चुकी है जबकि बाकी रहे व्यक्तियों में से हरियाणा के हिसार में सेक्टर 13 पी निवासी हरिसिंह पुत्र सूरजभान और बीकानेर ल्गामी वाटिका निवासी अशोक कुमार खन्ना पुत्र एचएल खन्ना ने सीनियर वकील विनीत कुमार जैन और प्रवीण व्यास के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें हाईकोर्ट ने पाया कि इन मुकदमों में न तो सुनवाई की कोई सार्थक प्रगति हुई, न ही किसी आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य ही उपलब्ध थे।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों का 23 वर्षों तक मुकदमे का सामना करना, मानसिक प्रताड़ना झेलना और बिना किसी ठोस आधार के न्यायालय के चक्कर लगाना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे की लंबी अवधि और साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण अभियुक्तों को दोषी ठहराने की कोई वास्तविक संभावना नहीं रह गई थी। तब कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे आपराधिक मामले को ही समाप्त कर दिया। इससे उन लोगों को भी राहत मिली है, जो अदालत तक पहुंचे ही नहीं थे।

शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन जारी

शाहपुरा, (निर्सं)। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर छिपा मुस्लिम समाज के सदस्य सदर हाजी शमसुद्दीन भाटी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए धरना कर पत्र चक्र शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग की। छिपा मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम शाहपुरा जिला बहाल करने का ज्ञापन दिया।

गढ़ेपान सरकारी स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ी

कोटा, (निर्सं)। जिले के सीमलिया थाना इलाके के गढ़ेपान स्थित सरकारी स्कूल में कुछ छात्र-छात्राओं के बेहोश होने का मामला सामने आया है। उनके परिजनों का आरोप है कि पास स्थित सीएफसीएल फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट बेहोश हुए हैं। घटना की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बेहोश हुए बच्चों को सीएफसीएल के चिकित्सालय में ले जाया गया जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक तौर पर अधिकारियों ने गैस रिसाव की पुष्टि नहीं की है। कोटा जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को बुलाया। टीम द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मामले में जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या घटनाक्रम रहा है। चिकित्सकों ने

- परिजनों का आरोप है कि पास स्थित सीएफसीएल फैक्टरी से गैस रिसाव हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट बेहोश हुए हैं**
- बेहोश बच्चों को सीएफसीएल के चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर उन्हें उपचार दिया**
- प्रारंभिक तौर पर प्रशासन के अधिकारियों ने गैस रिसाव की पुष्टि नहीं की है**

जानकारी दी है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। मामले में कोटा ग्रामीण के एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि ग्रामीणों ने मौखिक रूप से गैस रिसाव की शिकायत की है। इस मामले पर मौके पर पहुंचे थे। कुछ बच्चों को इलाज के लिए कोटा भेजा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीमलिया थाने के एएसआई शिवरारा सिंह का कहना है कि 12 से 14 बच्चों और एक महिला को तकलीफ हुई थी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां से 7 बच्चों को कोटा के जेके लोन और नए अस्पताल में भेजा गया है। एंबुलेंस

से उन्हें रवाना कर दिया और जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी स्थिति सामान्य ही है। मामले के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली से ही कोटा के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर, सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर, बीसीएमएचओ डॉ. राजेश सांभर मौके पर पहुंचे। पूरे घटनाक्रम के समक्ष त्वरित जानकारी ली है। घटना के कुछ देर बाद ही स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर भी पहुंचे।

मालपुरा, (निर्सं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लाम्बाहरसिंह करबे से नौ फरवरी की शाम घर से निकली नाबालिग स्कूली छात्रा प्रिया जांगिड़ का बारह फरवरी को संदिग्ध हालत में शव मिलने पर पिता की और से नामजद मामला दर्ज करवाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे गुस्साये जांगिड़ समाज के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने शनिवार को सड़कों पर उतर जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा पुलिस व प्रशासन मुर्दाबाद क लगाये नारे। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

शनिवार को छात्रा हत्याकाण्ड मामले को लेकर गांधी पार्क में जांगिड़ समाज की बैठक आयोजित हुई। बड़ी संख्या में मौजूद समाज के महिला-पुरुषों ने नाबालिग छात्रा व उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिये सड़कों पर उतर प्रशासन पर दबाव बनाने का निर्णय लेकर गांधी पार्क से आक्रोश जताते हुये कोर्ट परिसर पहुंचे। शनिवार को कार्यलय अवकाश होने के चलते मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साये लोगो ने तकरीबन आधा घंटे तक कोर्ट परिसर में धरना दिया। ज्ञापन लेने के लिये किसी भी सक्षम अधिकारी



लाम्बाहरसिंह में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांगिड़ समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।

के नहीं आने पर आक्रोशित लोगों ने जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया।

ज्या की सूचना पर पहुंचे थानाधिकारी चेनाराम बेडा ने जाम लगा रहे जांगिड़ समाज के लोगों से जाम लगाने के निर्णय को राजकार्य मे बाधा बताते हुये मुकदमे दर्ज करने की चेतावनी दी तो लोगों का गुस्सा उग्र हो गया। लोगों ने जमकर प्रशासन के

खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक की प्रदर्शनकारियों ने पुलिस व प्रशासन ने जानबूझकर नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने जैसे आरोप लगा मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़ गये। थानाधिकारी की सूचना पर उपखण्ड अधिकारी अमित कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे।

जांगिड़ महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल, भाजपा

पचेवर मंडल अध्यक्ष धर्मवीर जांगिड़ सहित समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया कि नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में डेठाणी निवासी कारा उर्फ गणेश दोषी है। आरोपी लाम्बाहरसिंह करबे मे रॉयल कैफे के नाम से दुकान चलाता है जो कि आये दिन छात्रा को प्रताड़ित कर मोबाइल

पर धमकियां देता था। नौ फरवरी को नाबालिग छात्रा को बहरना-फुसलाकर ले गया, जिसका तीन दिन बाद गांव के ही सार्वजनिक कुण्ड में शव मिलने पर पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले की सीबीआई जांच करवाने तथा जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज उग्र आंदोलन करने के निर्णय से अवगत करवा प्रशासन को चेतावनी दी। शनिवार को मृतक छात्रा के घर पहुंचे थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि परिजनों की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर विधि संगत कार्यवाही व मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जल्द मामले का होगा खुलासा।